कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या : हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-18/मुख्यालय/2024/ 878

दिनांक: 16 APR 2024

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)/
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) / निदेशक, पीडीनास,
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के
प्रभारी क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त

विषय: 17वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

जैसा कि विदित है राजभाषा नीति की व्यापक जानकारी कराने, कर्मचारियों में राजभाषा के प्रयोग में गुणात्मक सुधार लाने तथा राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से संगठन में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में केंद्रीय भ.नि.आयुक्त महोदया ने 17वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 7-8 जून, 2024 को दिल्ली में किदवई नगर कार्यालय के चतुर्थ तल पर नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल में करने के लिए स्वीकृति दी है।

आंचलिक कार्यालयों से यह अनुरोध है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान यदि आपके कार्यालय अथवा आपके अधीनस्थ फील्ड कार्यालयों ने कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है (नराकास, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय सम्मेलन आदि के माध्यम से) तो इसकी समेकित सूचना **20/05/2024** तक मुख्यालय को ई-मेल (dir.ol@epfindia.gov.in) पर भिजवाना सुनिश्चित करें ।

इस सम्मेलन में पूरे एक वर्ष (यानि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही) की रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा हिंदी प्रगति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अत: सभी आंचलिक कार्यालयों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों सहित जनवरी-मार्च, 2024 तिमाही की समेकित रिपोर्ट **10.05.2024** तक मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, यदि आपके कार्यालय से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कोई मामला/सुझाव है, जिसे आप इस सम्मेलन में चर्चा हेतु रखना चाहते हैं, तो उसका विवरण भी **20.05.2024** तक भेजने की व्यवस्था करें। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन में चर्चा हेतु उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त मामला तथा कोई भी व्यक्तिगत मुद्दा/मामला शामिल नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि केवल आंचलिक कार्यालय द्वारा अनुमोदित मुद्दे/विचार ही सम्मेलन में शामिल किए जाएंगे, पर व्यक्तिगत रूप

से भेजे गए सुझाव/मुद्दे विचारार्थ शामिल नहीं किए जाएंगे । किसी भी विचार/मुद्दे पर अंतिम स्वीकृति मुख्यालय के अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्यालय)/प्रभारी राजभाषा द्वारा प्रदान की जाएगी ।

भवदीय,

(आर.के. सिंह)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)
/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, एनडीसी को वेब अपलोड के अनुरोध सहित ।
2. सभी उप निदेशक (राजभाषा)/ सहायक निदेशक (राजभाषा)/ वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।